12/06/2026

– प्रकरण प्रस्तुत।

– प्रकरण का अवलोकन किया।

– आवेदिका संतोषी अग्रवाल पिता/पति अशोक कुमार अग्रवाल, निवासी– सुभाष चौक निहारिका कोरबा, तहसील व जिला –कोरबा के आधिपत्य के भूमि ख0नं0 291/1 रकबा 248.84 वर्गमीटर भूमि पर 01 बरगद के वृक्ष स्थित है, जो कि आवेदिका के मान से लगा हुआ है। उक्त वृक्ष मकान को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त बरगद के वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

– कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा जिला–कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/के.बी./1050 कोरबा, दिनांक 01/06/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम–कोरबा, प.ह.नं.–16 तहसील जिला– कोरबा में ख.नं. 291/1 रकबा 248.84 वर्गमीटर भूमि पर 01 नग बरगद वृक्ष में आवेदिका के मकान के दिवारों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। जिसमें से कुल– 01 नग बरगद वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:–

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कंडिका 3 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निम्नांकित वृक्ष परिस्थितियों में वृक्ष कटाई की अनुशंसा कर सकेगा –
(एक) ऐसे वृक्षों अथवा उनके भाग से जीवन एवं संपत्ति की कोई क्षति अथवा नुकसान होने की संभावना, या उससे पीने के पानी के दूषित होने की संभावना हो।
(दो) वृक्ष सूख गए हो, अथवा सूख रहें हो।
(तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।
(चार) ऐसे फलदार वृक्ष जो न फलने वाला हो, सूख गया हो।
(पांच) फल प्रजाति से अलग प्रजाति के ऐसे पेड़ विदोहन योग्य गोलाई के हो। (ऐसी विदोहन योग्य गोलाई संबंधित वनमण्डल द्वारा निर्धारित की गई गोलाई मानी जाएगी।)
(छः) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो।
– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के अधिन वृक्ष कटाई नियम 2022 के 3 (तीन) ऐसे वृक्ष को हटाने से किसी जनोपयोगी स्थल की सुंदरता अथवा सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना हो।
–प्रकरण में संलग्न पेड़ की छायाचित्र से स्पष्ट है कि आवेदित वृक्ष मकान से दूर स्थित है। जिससे मकान को क्षति नहीं हो रही है।
–आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)